

2024/729


फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
पृथ्वीराज बनाम दौलतराम आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 193 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25.11.2024	<p>प्रार्थी पृथ्वीराज की तरफ से वकील श्री राकेशकुमार माहर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 2 केएचडी के प.नं. 11/33(19) कि.नं. 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15 ता 19 की 1.822 है., प.नं. 11/41(20) कि.नं. 11/2, 12 ता 15, 17, 18, 19, 20/2 की 2.227 है., प.नं. 30/16(13) कि.नं. 12, 13, 18, 19, 22/2, 23/2 की 1.365 है. कुल 5.414 है. भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 24.12.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर </p> <p> 24.12.2024 कुलाए पोसकन उपास्थता/PU माहरे प्रार्थी प्रार्थी पत्रावली प्रकृतियत मसल 2024 दिनांक 21.12.2024 हा पेश हो इमह </p> <p> 21.12.2024 कुलाए पोसकन उपास्थता/PU माहरे प्रार्थी प्रार्थी पत्रावली प्रकृतियत मसल 2024 दिनांक 21.12.2024 हा पेश हो इमह </p> <p> 3.3.2025 पत्रावली पेश करी वकील प्रार्थी उपास्थता नहीं वकील प्रार्थी प्रार्थी स्वयं को आर-आर आकाज लगाई छिटर की हाजिर नहीं। प्रार्थना पत्र प्रकृतियत हाजरी व मसल प्रार्थी में जारी किया जाता है। प्रार्थनी माहर से प्रम की आकर बाद तारीख वकील प्रार्थी दाखिल प्रकृतियत हो। </p>	<p>पृथ्वीराज</p> <p>पत्रावली</p> 